**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN**
**BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Misc. Suspension of sentence Application No. 366/2026
IN
S.B. Criminal Revision Petition No. 1346/2026
CNR: RJHC020662882026 | URN: CRLR / 2463U / 2026

Five Star Bluedtech Pvt. Lmt., Registered Office 16 Anti Ps Market, In Front of H Block, Sector 63, Vajidpur, Noida Uttarpradesh Through Director Ajay Kumar Sharma S/o Shri Chandrasen, Aged 60 Years R/o I-27, Ambedkar Nagar, Alwar Raj.
(Presently Accused Petitioner Confined In Central Jail Alwar)

----Accused-Petitioner

Versus

1. State of Rajasthan, Through Public Prosecutor, Alwar.
2. Narayanpuri Goswami S/o Shri Asanpuri Goswami, Resident of 84 Veer Sawarkar Nagar, Alwar Raj.

----Complainant-Respondents

---

For Petitioner(s) : Mr. Mainsh Gupta, Adv.
For Respondent(s) : Mr. Vivek Choudhary, PP

---

**HON'BLE MR. JUSTICE BHUWAN GOYAL**

**Order**

**14/09/2026**

**1.** याची/अभियुक्त **अजय कुमार शर्मा पुत्र चन्द्रसेन** की ओर से अंतर्गत धारा **438 सपठित धारा 442 बीएनएसएस,** विचारण न्यायालय–**विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, (एन.आई.एक्ट प्रकरण संख्या–01), अलवर** द्वारा नियमित दाण्डिक प्रकरण संख्या–**23/16/2017, उनवान नारायणपुरी गोस्वामी बनाम फाइव स्टार ब्यूल्डटेक प्रा0लि0 जरिए डायरेक्टर अजय कुमार शर्मा** में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक **23.09.2025** एवं अपीलीय न्यायालय–**अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–03, अलवर** द्वारा फौजदारी अपील संख्या–**56/2025, उनवान फाईव स्टार ब्यूल्डटेक बनाम राज0 सरकार** में पारित निर्णय व आदेश दिनांक

**23.06.2026** के विरूद्ध यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, विचारण न्यायालय के द्वारा याची/अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध में **01 वर्ष के साधारण कारावास** तथा **18,00,000/– रुपये** के अर्थदंड सहित अदम अदायगी जुर्माना **03 माह के साधारण कारावास** से दंडित किया गया है।

**2.** बहस सुनी गई।

**3.** विद्वान अधिवक्ता याची–अभियुक्त का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय व अपीलीय न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अत्यंत सूक्ष्मता एवं गहनता से विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किये गये हैं। याची–अभियुक्त द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश के क्रम में जुर्माने की राशि 18,00,000/– रुपये की 20 प्रतिशत राशि विचारण न्यायालय में जमा करा दी गई है एवं वह जुर्माना राशि की 30 प्रतिशत राशि और जमा करवाने को तैयार है, प्रस्तुत निगरानी याचिका के निस्तारण में समय लगेगा, अतः उसका सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

**4.** इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने याची–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए प्रस्तुत सजा स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

**5.** मैंने उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया। विद्वान विचारण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों का एवं समग्र पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

**6.** विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा याची–अभियुक्त को 01 वर्ष के साधारण कारावास तथा 18,00,000/– रुपये की प्रतिकर राशि व अदम अदायगी 03 माह के साधारण कारावास से पृथक से दंडित किया गया है, उक्त आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत किए जाने पर विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय एवं दण्डादेश की पुष्टि की गई।

**7.** सजा स्थगन के लिये अर्थदण्ड/क्षतिपूर्ति की राशि जमा कराने का प्रश्न है, इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने विनिश्चय 2018(2) क्राइम्स पृष्ठ 302 (एस.सी.) सत्येन्द्र कुमार मेहरा उर्फ सतेन्द्र कुमार मेहरा बनाम झारखण्ड, ए.आई.आर. 2001 एस.सी. 659 स्टेनी फैलिक्स पिन्टो बनाम जांगिड़ बिल्डर्स प्रा.लि. व अन्य एवं (2007)6 एस. सी.सी. पृष्ठ 528 दिलीप एस. धानुकर बनाम कोटक महेन्द्र कं.लि. में तथा इस न्यायालय की समकक्ष पीठ ने एस.बी. क्रिमीनल मिस. पिटीशन नंबर 1137/2012 सुरेश चन्द शर्मा बनाम राजस्थान राज्य में यह निर्णीत किया है कि कारावास का दण्ड स्थगित करते समय न्यायालय ऐसी कुछ युक्तियुक्त शर्तें लगा सकता है तथा यह आदेश पारित कर सकता है कि अर्थदण्ड/क्षतिपूर्ति की राशि का युक्तियुक्त भाग जमा करवाया जाए।

**8.** अतः उक्त न्यायिक विनिश्चयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों की रोशनी में, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किये बिना, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित प्रतिकर राशि के क्रम में याची–अभियुक्त द्वारा कुल क्षतिपूर्ति राशि 18,00,000/– रूपये की पूर्व में जमा कराई गई 20 प्रतिशत प्रतिकर राशि के **अतिरिक्त 30 प्रतिशत** राशि का डी.डी. विचारण न्यायालय में जमा कराने की शर्त पर यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

**9.** परिणामतः याची/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि याची/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/–रूपए **(अक्षरे पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000–25000/–रूपए **(अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस न्यायालय में दिनांक **14.10.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा एवं उसके द्वारा पूर्व में जमा कराई गई 20 प्रतिशत राशि के अतिरिक्त यदि वह कुल प्रतिकर राशि

18,00,000/– रुपये की **30 प्रतिशत अतिरिक्त राशि** का डी.डी. अधीनस्थ/विचारण न्यायालय में जमा करा दे तो याची/अभियुक्त **अजय कुमार शर्मा पुत्र चन्द्रसेन** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

**10.** विचारण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णयों के तहत दिए गए **''दण्डादेश''** (sentence) का क्रियान्वयन इस निगरानी याचिका के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

**11.** इस आदेश के तहत याची द्वारा आदेशित राशि का डी.डी. जमा कराने के पश्चात परिवादी की ओर से अधीनस्थ विचारण न्यायालय में इस आदेश की रोशनी में राशि प्राप्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर, अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा जमाशुदा डी.डी. की राशि परिवादी को इन तथ्यों की अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर अदा कर दी जाए कि यदि याची इस पुनरीक्षण याचिका में सफल होता है तो उस स्थिति में परिवादी द्वारा इस आदेश के अधीन प्राप्त की गई राशि पुनः याची को 06 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के साथ पुनरीक्षण याचिका के निर्णय के एक माह की अवधि में लौटाने के लिये बाध्य व तैयार रहेगा, अन्यथा परिवादी इस न्यायालय के आदेश की अवहेलना के लिये दायी होगा।

**(BHUWAN GOYAL),J**

7/RAHUL